आर० आर० एस० कॉलेज, मोकामा (1)

विषय - राजनीति विज्ञान

स्नातक प्रतिष्ठा Part II Paper III

टॉपिक - भारतीय प्रधान मंत्री की भूमिका

डॉ० उमेश चन्द्र शुक्ला
एसो० प्रोफेसर, राजनीति विज्ञान

भारतीय संविधान भारत के लिए संसदीय शासन प्रणाली का प्रावधान करता है। इसमें कार्यपालिका के दो प्रधान होते हैं - आलंकारिक और वास्तविक। भारतीय राष्ट्रपति प्रथम पक्ष तथा प्रधानमंत्री द्वितीय पक्ष का प्रतिनिधित्व करते हैं। अर्थात भारतीय प्रधान मंत्री ब्रिटिश प्रधान मंत्री की तरह "सर्वोच्च शासक" की भूमिका का निर्वाह करते हैं। बदलते संदर्भ में प्रधानमंत्री की व्यापक भूमिका को देखते हुए Crossman के विचार से सहमति प्रकट की जा सकती है "The postwar epoch has seen the transformation of the cabinet Government into Prime Ministerial Government."

चयन एवं नियुक्ति - भारतीय संविधान की धारा 75 के अनुसार प्रधान मंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। किन्तु संविधान की ही धारा 75(III) में प्रावधान किया गया है कि उसे लोकसभा का विश्वास प्राप्त हो। अतः राष्ट्रपति उसी व्यक्ति को प्रधानमंत्री नियुक्त करना चाहेगा, जिससे उम्मीद हो कि वह लोक सभा का विश्वासमत प्राप्त कर सकेगा। अतः उसकी नियुक्ति के पूर्व बहुमत प्राप्त दल या दल समूह द्वारा नेता के रूप में चयनित होना आवश्यक होता है। बहुमत के अभाव में राष्ट्रपति अपनी स्वतंत्र भूमिका का निर्वाह कर सकता है। किन्तु बड़े दल के नेता को नियुक्त कर टकराव दूर करने की संभावना का प्रयास करता है। किन्तु प्रधान मंत्री को पद पर बने रहने के लिए, लोकसभा के बहुमत का समर्थन अनिवार्य है।

भूमिका - प्रधानमंत्री की भूमिका का वर्णन निम्नलिखित उपशीर्षकों के अन्तर्गत किया जा सकता है।

(1) प्रधान मंत्री और मंत्रिमंडल - अम्बेदकर ने यह स्पष्ट कर दिया है कि प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल का मुख्य आधारशिला है। जबतक उक्त पद को इतनी अधिकार पूर्ण स्थिति प्रदान न करें

Scanned with CamScanner

कि वह स्वविवेक से मंत्रियों की नियुक्ति तथा पदच्युति कर सके, तब तक मंत्रिमंडल का सामूहिक उत्तरदायित्व प्राप्त नहीं हो सकता है। यह एक स्थापित परम्परा है कि, मंत्रियों की नियुक्ति, उनके बीच विभागों का वितरण तथा मंत्री की पदच्युति प्रधानमंत्री का स्वविवेकीय अधिकार है। राष्ट्रपति स्वीकृति की औपचारिकता का निर्वाह करते हैं। वर्तमान समय में संविद सरकारों के कारण समर्थक दल का राजनीतिक दबाव यदा-कदा दिखलाई पड़ता है। राष्ट्रपति भी किसी मंत्री को पदच्युत करने का परामर्श दे सकता है। प्रधानमंत्री भी दल या समर्थक दल के वरिष्ठ सदस्यों क्षेत्रीय, जातीय तथा साम्प्रदायिक समीकरण को संतुलित रखने का प्रयास करते हैं। ऐसे राजनीतिक दबावों का भी प्रभाव मंत्रिमंडल के गठन एवं विभाग वितरण में देखा जा सकता है।

(२) प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति - संविधान निर्माण के समय यह स्थापित मान्यता थी कि राष्ट्रपति ब्रिटिश सम्राट की तरह राष्ट्राध्यक्ष हैं- शासनाध्यक्ष नहीं। किंतु बाद में प्रथम राष्ट्रपति राजेन्द्र प्रसाद, के० एम० मुंशी तथा अन्य लोगों के द्वारा यह प्रश्न उठाया जाने लगा कि राष्ट्रपति लिखित संविधान, निर्वाचित पद, शपथ पत्र, संघात्मक व्यवस्था आदि के कारण ब्रिटिश सम्राट के मात्र अनुरूप नहीं है। संविधान की धारा 53 का हवाला देकर यह बतलाया जाता है कि राष्ट्रपति कार्यपालिका का प्रधान है, जिसकी शक्तियों का संचालन वह स्वयं या अपने अधीनस्थों के द्वारा कर सकता है। किन्तु संसदीय परम्परा का हवाला देकर मंत्रिपरिषद के परामर्शों को मानने के लिए राष्ट्रपति को बाध्य बतलाया गया है। अधिकांश राष्ट्रपतियों की अपने चुनाव के लिए प्रधानमंत्री पर निर्भरता उनकी शक्ति को कमजोर करता रहा है। वर्तमान स्थिति यह है कि संविधान के 44वें संशोधन के अनुसार राष्ट्रपति कोई भी प्रस्ताव एक बार पुनर्विचार के लिए मंत्रिमंडल को लौटा सकता है। अधिकांश राष्ट्रपति को चुनाव के लिए प्रधानमंत्री पर निर्भरता के कारण H. N. Pandit ने The P.M.'s President की अवधारणा दी थी।

(3) प्रधानमंत्री और संसद - प्रधान मंत्री लोकसभा का नेता होता है, अतः विधायी कार्यों के निष्पादन में उसकी महत्त्वपूर्ण भूमिका होती है। कभी कभी राज्यसभा में बहुमत के अभाव में राजनीतिक समीकरणों द्वारा आवश्यक कार्य को निपटाने का प्रयास करता है। लोकसभा की अधिक शक्ति होने के कारण उसकी स्थिति संसद के नेता की हो जाती है।

Scanned with CamScanner

(4) प्रधान मंत्री और दल – प्रधानमंत्री अपने दल का नेता होता है। दलीय संगठन, कार्यक्रम, चुनाव संचालन, प्रत्याशियों के चयन दलीय खर्चों का प्रबंधन आदि में उसकी भूमिका महत्वपूर्ण होती है। कई दलीय अध्यक्षों को प्रधानमंत्री के मातहत के रूप में स्पष्टतः देखा जाता है। आचार्य कृपलानी तथा पुरुषोत्तमदास टंडन को नेहरू से टकराव की स्थिति में हटना पड़ा। इस प्रकार प्रधान मंत्री दल पर पूरा नियंत्रण रखता है। अपवाद स्वरूप इन्द्रकुमार गुजराल मनमोहन सिंह जैसे प्रधानमंत्री देखे जा सकते हैं, जिनका दल पर कोई नियंत्रण नहीं था।

(5) प्रधानमंत्री नीति निर्माता के रूप में – प्रधान मंत्री महत्वपूर्ण राष्ट्रीय नीतियों का निर्माता और निर्धारक होता है। सामाजिक, आर्थिक प्रशासनिक, संवैधानिक आदि हर क्षेत्र की नीतियों को वह प्रभावित करता है। नेहरू की हिन्दू कोड बिल, गुटनिरपेक्षता, मिश्रित अर्थव्यवस्था इन्दिरा गाँधी की बैंकों का राष्ट्रीयकरण, प्रीविपर्स की समाप्ति, नरसिंह राव तथा मनमोहन सिंह की उदारवादी नीति, नरेन्द्र मोदी की स्वच्छ भारत, आतंकवाद विरोधी तथा कश्मीर नीति उदाहरण हैं। वह नीति आयोग का अध्यक्ष भी होता है।

(6) प्रधानमंत्री और संकटकाल – प्रधान मंत्री आंतरिक तथा बाह्य संकटों, प्राकृतिक तथा महामारी के संकटों का सामना करने में राष्ट्र का नेतृत्व करता है। समस्त आपातकालीन शक्तियाँ वस्तुतः उसी के द्वारा प्रयुक्त की जाती हैं। वस्तुतः वह सबसे बड़ा संकट मोचक होता है। ~~कुछ~~

7. प्रधानमंत्री और विदेशनीति – विदेश नीति का भी निर्धारक एवं संचालक प्रधान मंत्री ही होता है। नेहरू तो स्वयं विदेश मंत्रालय अपने पास रखते थे। युद्धों के समय लालबहादुर शास्त्री, इंदिरा गाँधी तथा कारगिल युद्ध में अटल बिहारी वाजपेई का नेतृत्व देखने को मिला। आज भी नरेन्द्र मोदी प्रधान विदेश नीति के संचालक के रूप में जाने जाते हैं।

8. महान नियुक्तिकर्ता – प्रधानमंत्री अनेक संवैधानिक पदों पर, राष्ट्रपति के सलाहकार के रूप, नियुक्ति हेतु प्रभावकारी भूमिका का निर्वाह करता है। इसके अतिरिक्त पद्म अलंकारों के चयन में भी उसकी भूमिका होती है।

Scanned with CamScanner

प्रधानमंत्री की उपर्युक्त भूमिकाओं के विश्लेषण से स्पष्ट है कि, उसकी स्थिति सर्वोच्च राष्ट्रीय ~~की~~ नेता का होता है। शांति या संकट का समय हो या विकास का मार्ग तय हमेशा उसकी ओर आशा भरी नजरों से देखता है।

जहाँतक प्रधानमंत्री की वास्तविक स्थिति का प्रश्न है, वह दो बातों पर निर्भर करता है – उसका अपना व्यक्तित्व तथा समर्थकों का उनके नेतृत्व के प्रति आस्था। नेहरू, इंदिरा गाँधी वाजपेई तथा नरेन्द्र मोदी की शक्ति के स्रोत का आधार उनका व्यक्तित्व भी है। इसी प्रकार अगर समर्थक अपनी शक्ति, पद चुनाव में जीत के लिए प्रधानमंत्री पर निर्भर करते हैं तो वह शक्तिशाली होगा। इसके अतिरिक्त प्रधानमंत्री जब दल के अंदर या बाहर मजबूत विपक्ष का सामना करता है तो उसकी स्थिति कमजोर हो जाती है। नेहरू पटेल के रहते न सहज अनुभव करते थे न ज्यादा शक्ति का उपयोग कर पाते थे। इसी प्रकार जयप्रकाश नारायण से टकराव के कारण इंदिरा गाँधी को सत्ता से हटना पड़ा था। ~~प्रश्न~~ प्रधानमंत्री की शक्ति का स्रोत है संविधान है। फिर भी बदलते राजनीतिक संदर्भों में उसकी शक्ति के प्रयोग में भी हमें कमी देखने को मिलती है। चुनाव में जीत तथा हार ने प्रधानमंत्रियों की शक्ति को प्रभावित किया है। प्रधानमंत्री का पद उसकी सफलता-असफलता पर निर्भर करता है। थोड़ी सी भी सफलता इसकी जयकारों के कारण बनते हैं तो असफलता होते ही माफी या दया का कोई भाव प्रकट नहीं किया जाता। इस स्थिति के बावजूद प्रधानमंत्री जबतक अपने पद पर है वह का सर्वोच्च शासक है।

Scanned with CamScanner